सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर0ए0एस0

प्रकरण सं0 05/2011
(राज0उप0 अधि0 की धारा 11/14)

गिरधारी लाल जैन निवासी 78–79 बी एल एन पी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

शिकायतकर्ता

बनाम

रामनारायण पुत्र ठाकर राम जाति बिश्नोई निवासी 80 एलएनपी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर। (मृतक के विधिक उतराधिकारीगण)

1.1 परमेश्वरी–पत्नी
1.2 भागीरथ–पुत्र
1.3 रामस्नेही–पुत्री
1.4 रामधन–पुत्र
1.5 देवीलाल उर्फ दलीप–पुत्र
1.6 बंशीलाल–पुत्र
1.7 इमान्ती–पुत्री
1.8 ईमला देवी–पुत्री
1.9 शिमला देवी उर्फ छिमला देवी–पुत्री
अकवाम बिश्नोई सकनाए 80 एलएनपी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

अप्रार्थीगण

उपस्थित : श्री जगमोहन आहूजा, राजकीय अधिवक्ता
श्री मोहन लाल माहर, अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या 1.6

आदेश दिनांक : 21 –06–2017

प्रस्तुत शिकायत का सार हैं कि आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर के पत्र कमांक प022(15)/राज/उप/78 जयपुर दिनांक 14.09.1982 के साथ शिकायतकर्ता का मूल प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया हैं कि धारा 11/14 के तहत नाजायज आंवटन की कार्यवाही जैरकार हैं। चक 71 से 82 एलएनपी तहसील पदमपुर व गांव घमढिया तहसील उपनिवेशन रायसिंहनगर, मुकाम सूरतगढ के चकों में नाजायज आंवटन चक 71एलएनपी हनुमान पुत्र पोलाराम बिश्नोई वगै0 ने तहसील पदमपुर व सूरतगढ का रकबा छुपाकर झुठा हलफनामा देकर, सरकार को धोखा देकर नाजायज आंवटन करवाया हैं। मौके की जांच होकर सरकार के आदेश से तहसील उपनिवेशन रायसिंहनगर मुकाम सूरतगढ़ व सहायक आयुक्त सूरतगढ़ के पास आदेश उपनिवेशन आयुक्त सतर्कता बीकानेर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

डीसीसी सूरतगढ व अति जिलाधीश गंगानगर के कार्यालय में उनकी पत्रावली जैरकार हैं। मौके पर जो रकबा पूराना ऑलटमेंट गरीब हरिजन व स्वर्ण जाति का हैं। गरीबों को यह रकबा मौके पर कब्जा दिलाने की कृपा करें। गैर–सायलों को बेदखल करावें। इस प्रकार शिकायतकर्ता द्वारा प्रार्थना पत्र की जांच करने एवं गैर–सायलों को मौके से बेदखल करने का निवेदन किया हैं।

पत्रावली पर उक्त प्रार्थना पत्र की जांच उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरनपुर (संदर्भित पत्र कमांक 572 दिनांक 30.07.1979 अहस्ताक्षरित जो जिलाधीश श्रीगंगानगर को सम्बोधित हैं) द्वारा तहसीलदार करनपुर से करवाई गई उल्लेखित किया हैं। जांच रिपोर्ट में अंकित किया हैं कि तहसील व टीआरए के रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। शिकायतकर्ता गिरधारी लाल द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में नाजायज आंवटन का जो उल्लेख किया हैं यह आंवटन सन् 1967 का हैं जो उपखण्ड अधिकारी, करनपुर द्वारा किया गया हैं जिन में से काफी ऑलाटियों द्वारा किस्तें भरी जा चुकी हैं व उन्हें सनद भी जारी हो चुकी हैं। जिन काश्तकारों के पास पहले भूमि थी व जो हकदार थे उनके नाम से आंवटन न कर दीगर व्यक्तियों को आंवटन किया गया जो हनुमान सरपंच के कई रिश्तेदार हैं। चक 80 एलएनपी के मुरब्बा नम्बर 29 की 24–10 बीघा भूमि अप्रार्थी रामनारायण को ऑलटमेंट की गई हैं।

पत्रावली का संधारण दिनांक 07.04.1983 को उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरनपुर के पत्र कमांक विविध/81/332 दिनांक 02.03.1981 के साथ संलग्न पत्र कमांक 572 दिनांक 26.10.1995 के अनुसरण में अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर के न्यायालय में किया गया। दिनांक 3–10–96 की आदेशिका में अंकित है कि " आज यह पत्रावली एक0डी0एम0 सतर्कता श्री गंगानगर के यहॉ से प्राप्त होने पर पेशी में ली गई। शिकायतकर्ता एवं अप्रार्थी दोनों को तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 18–12–96 को पेश हो "। उक्त आदेशिका की निरन्तरता में दिनांक 26–11–97 की आदेशिकाएं पारित की गई हैं। दिनांक 27–11–97 से लेकर दिनांक 20–4–11 से पूर्व की आदेशिकाएं पारित हुए अथवा नहीं, पत्रावली में इस तथ्य का उल्लेख नहीं है। इस प्रकार, उक्त पत्रावली दिनांक 07.04.1983 से लेकर 21.06.2011 तक अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर एवं अन्य न्यायालय में विचाराधीन रही है।

अति जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर के न्यायालय से हस्तगत प्रकरण दिनांक 21.06.2011 को स्थानान्तरित होकर इस न्यायालय में प्राप्त हुआ व दर्ज रजिस्टर किया गया।

पत्रावली में संलग्न तहसीलदार की रिपोर्ट कमांक भू0अ0/84/135 दिनांक 18.01.1984 के अनुसार चक 80 एलएनपी के मुरब्बा नम्बर 29 की 24 बीघा 10 बिस्वा बारानी भूमि अप्रार्थी रामनारायण को दिनांक 24.04.1968 को पुख्ता आंवटन की गई थी। भूमि पर अप्रार्थी का ही कब्जा हैं। उक्त भूमि के अलावा चक 78 एल. एन.पी. के मुरब्बा नम्बर 47 की 2 बीघा 2 बिस्वा बारानी भूमि अप्रार्थी रामनारायण को अलॉट हैं। उक्त रिपोर्ट के पश्चात् तहसीलदार, पदमपुर द्वारा रिपोर्ट कमांक भू0अ0/84/1708 दिनांक 28–5–85 प्रेषित की है, जिसमें बिन्दुवार निम्न प्रकार से अंकित किया है कि :–

1. विवादित भूमि चक 80 एल.एन.पी. का मु0 नं0 49 की 24–10 बीघा दिनांक 24–10–1968 को अलॉट की गई।
2. आवंटन अधिकारी का नाम टी0आर0ए0 के रजिस्टर में दर्ज नहीं है।

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

3. आवंटन के समय उक्त भूमि के किस्म बारानी थी।
4. उक्त भूमि पर आवंटी श्री रामनारायण पुत्र ठाकर बिश्नोई का ही कब्जा है।
5. आवंटी जन्म से ही राजस्थान का निवासी है।
6. आवंटी से पूर्व अप्रार्थी व उसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम भूमि नहीं थी।
7. आवंटन से पूर्व अप्रार्थी का पेशा खेती था।

इस प्रकार, अप्रार्थी को भूमि आवंटन करने से पूर्व नियमानुसार पात्रता की जांच सुनिश्चित की गई है।

प्रकरण में आंवटन से संबंधित मूल रिकॉर्ड तलब करने के लिए अति जिला कलक्टर (सतर्कता) द्वारा मई 1984 से लेकर 18–10–92 तक पत्राचार किया गया लेकिन मूल रिकार्ड प्राप्त नहीं हुआ। इस न्यायालय द्वारा भी रिकार्ड तलबी के काफी प्रयास किये गए। इस कार्यालय के पत्र कमांक 1445 दिनांक 22–05–17 के कम में **उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरनपुर ने अपने पत्र कमांक राजस्व/16/863 दिनांक 05.10.2016 द्वारा अवगत करवाया हैं कि चाही गई पत्रावली वर्ष 1968 से संबंधित हैं। कार्यालय में तलाश करने पर पत्रावली उपलब्ध नहीं हो रही हैं और न ही वर्ष 1968 से संबंधित कोई रिकार्ड उपलब्ध हो रहा हैं। सम्भवंतः पत्रावली निर्णय के उपरान्त अभिलेखागार में जमा करवाई जा चुकी होगी।**

उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरनपुर की उपरोक्त रिपोर्ट के उपरान्त जिला अभिलेखागार से रिकार्ड मांगा गया। जिला अभिलेखागार ने अपने पत्र कमांक सीजी/जि0अ0/2017/193 दिनांक 06.06.2017 द्वारा अवगत करवाया हैं कि हस्तगत प्रकरण से संबंधित पत्रावली जिला अभिलेखागार के पत्र संख्या सीजी/जिला रिकार्ड/ब0न0/92/535 दिनांक 18.11.1992 से भिजवाई गई हैं जो मूल ही हस्तगत पत्रावली के संलग्न है।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया हैं कि पत्रावली में जो उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरनपुर की जांच रिपोर्ट संलग्न हैं वह कार्बन प्रति हैं उस पर अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं। मूल रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो रहा हैं। भूमि का आंवटन वर्ष 1968 का है। प्रकरण अत्यधिक पुराना हैं।

पत्रावली के सलंग्न लिखित बहस जो अप्रार्थी वकील द्वारा 07.04.1986 को प्रस्तुत की गई थी, पर अपनी बहस आधारित करते हुए अप्रार्थी के अधिवक्ता ने बहस में कहा हैं कि अप्रार्थी ने भूमि आंवटन करवाते समय आंवटन अधिकारी के समक्ष किसी प्रकार की कोई गलत सूचना पेश नहीं की। अप्रार्थी का पेशा खेती है, राजस्थान का मूल निवासी हैं। पूर्ण जांच के बाद अप्रार्थी को रकबा वर्ष 1966–67 में आंवटित किया गया हैं। मौके पर अप्रार्थी का कब्जा हैं। शिकायतकर्ता ने ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो कि आंवटी ने धारा 11/14 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की अवहेलना की हो। शिकायतकर्ता ने ऑलटमेंट के आदेश के खिलाफ किसी भी सक्षम न्यायालय में अपील पेश नहीं की हैं। शिकायतकर्ता द्वारा रंजिशवश मात्र एक शिकायत की गई है। ऑलटमेंट हुए करीब 49 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका हैं। इतनी लम्बी अवधि के उपरान्त आंवटन को निरस्त किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित नहीं हैं। अप्रार्थीगण ने काफी धन ब परिश्रम कर भूमि में सुधार किया हैं। पत्रावली में ऐसी कोई सारवान दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं जिससे यह स्पष्ट होता हो कि अप्रार्थी द्वारा तथ्यों को

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

छुपाकर विधि विरूद्ध आंवटन करवाया गया हो। पत्रावली में संलग्न मृत्यू प्रमाण पत्र के अनुसार मूल आवंटी रामनारायण की दिनांक 05—05—2008 को मृत्यू हो चुकी है। अतः उपरोक्त तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए प्रकरण में कार्यवाही ड्रोप की जावें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि तहसीलदार पदमपुर की रिपोर्ट क्रमांक भू0अ0/84/135 दिनांक 18.01.1984 के अनुसार चक 80 एलएनपी के मुरब्बा नम्बर 29 की 24 बीघा 10 बिस्वा बारानी भूमि अप्रार्थी रामनारायण को दिनांक 24.04.1968 को पुख्ता आंवटन की गई थी। भूमि पर अप्रार्थी का ही कब्जा हैं। उक्त भूमि के अलावा चक 78 एलएनपी के मुरब्बा नम्बर 47 की 2 बीघा 2 बिस्वा बारानी भूमि अप्रार्थी रामनारायण को अलॉट हैं। इसी प्रकार पात्रता की जॉच के संबंध में तहसीलदार, पदमपुर द्वारा रिपोर्ट क्रमांक भू0अ0/84/1708 दिनांक 28—5—85 प्रेषित की गई है, जो पत्रावली में शामिल है। मूल अलॉटमैन्ट पत्रावली जो अभिलेखगार से प्राप्त हुई है, में संलग्न आवंटन आदेश क्रमांक 10083 दिनांक 27—12—67 के अनुसार दिनांक 22—12—67 अप्रार्थी रामनारायण को चक नं0 71 एल.एन.पी. में मुरब्बा नं0 43 की 11—02 बीघा नहरी छःमासी व मुरब्बा नं0 4 की 1—03 बीघा बारानी, चक 78 एल. एन. पी. का मुरब्बा नं0 47 का 2—02 बीघा बारानी, चक 80 एल.एन.पी. का मुरब्बा नं0 29 का 2—14 बीघा नहरी व 21—16 बीघा बारानी कुल 13—16 बीघा नहरी व 24—06 बीघा बारानी कुल 37—17 बिस्वा भूमि अलॉट हुई है। आवंटन अधिकारी के आदेश दिनांक 22—12—67 के अनुसार रूल 4 के अनुसार छःमासी रकबा 50—00 बीघा तक अलॉट हो सकता है। इस प्रकार अप्रार्थी रामनारायण को अलॉटमैन्ट की सीमा में ही रकबा का आवंटन पूर्ण जॉच के उपरांत किया गया है। लगभग 49 वर्ष की लम्बी अवधि व्यतीत हो जाने के बाद इस स्टेज पर आवंटन को निरस्त किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। शिकायतकर्ता द्वारा अलॉटमैन्ट के आदेश के विरूद्व कभी किसी सक्षम न्यायालय में कोई चाराजोई नहीं की गई है। अतः उपरोक्त समग्र विवेचन के सन्दर्भ में शिकायतकर्ता की शिकायत सारहीन प्रतीत होती है।

निष्कर्षतः, शिकायतकर्ता की शिकायत सारहीन होने से खारिज की जाती है। आदेश की एक प्रति संबंधित तहसीलदार को एवं आदेश की एक प्रति मय रेकार्ड विधि परीक्षण हेतु विधि प्रकोष्ठ को भिजवाया जावे।

आदेश आज दिनांक 20—6—17 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20/6/17

(नखतदान बारहठ)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्री गंगानगर।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)